

बिहार सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक: बिक्री कर/संशोधन-05/2007-I

2240

पटना, दिनांक: 8.6.12

प्रेषक,

प्रह्लाद बैठा,  
वाणिज्य-कर अपर आयुक्त,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अंचल प्रभारी,  
वाणिज्य-कर विभाग।

विषय: औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं 2011 के अंतर्गत वैट/प्रवेश कर के प्रतिपूर्ति के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक-27, दिनांक-04.01.2012

महोदय,

प्रसांगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय। प्रसांगिक पत्र-27, दिनांक 04.01.2012 की कंडिका-2 के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 का अवधि विस्तार दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.06.2011 तक हो गया है अतः औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के तहत दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि में औद्योगिक इकाई द्वारा पाँच वर्षों तक छूट ले चुका है, उन्हें विस्तारित अवधि यथा दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.06.2011 तक के लिए अनुमान्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में वैट प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन उद्योग विभाग से शीघ्र ही प्राप्त होनेवाला है। अतएव औद्योगिक इकाईयों से आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त कर आवेदक के संबंधित संचिका पर नियमानुसार समीक्षा/परीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई की जाय ताकि उद्योग विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान किया जा सके।

विश्वासभाजन

8/6/12

वाणिज्य-कर अपर आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2240

पटना, दिनांक- 8.6.12

प्रतिलिपि-सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) को प्रसांगिक पत्र के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/12

वाणिज्य-कर अपर आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2240

पटना, दिनांक- 8.6.12

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना/बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/12

वाणिज्य-कर अपर आयुक्त,  
बिहार, पटना।